

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग
खाद्य भवन, भू-तल, शासन सचिवालय, जयपुर-302005

पत्रांक:एफ 5()आप्र.एवं सहा./ चारा डिपो/2019/ 458-463 जयपुर,दिनांक

21/6/19


परिपत्र

इस विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.5(9)आ.प्र.एवं सहा./ चारा/2009-10/5926-40 दिनांक 16.3.19 द्वारा निर्धारित चारा परिवहन अनुदान दरों का अतिक्रमण करते हुए चारा परिवहन दरें निम्नानुसार परिवर्तित की जाती हैं-

अनुदान राशि रूपये प्रति क्विंटल-

| क्र.सं. | विवरण | वर्तमान दरें | प्रस्तावित दरें |
|---------|-------------------------------|--------------|-----------------|
| 1 | 51 से 100 कि.मी. | 120.00 | 150.00 |
| 2 | 101 से 200 कि.मी. | 130.00 | 165.00 |
| 3 | 201 से 350 कि.मी. | 150.00 | 190.00 |
| 4 | 351 से 500 कि.मी. | 180.00 | 225.00 |
| 5 | 500 से अधिक | 200.00 | 250.00 |
| 6 | हरा चारा (गन्ने के अतिरिक्त) | 80.00 | 100.00 |

उक्त दरें संवत् 2075 से प्रभावी होंगी।


संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज0., जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता, राज., जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, राज., जयपुर।
4. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, गोपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राज0, जयपुर।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि, जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
9. निजी सचिव, सचिव, पशुपालन एवं गोपालन, जयपुर।
10. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
11. निजी सचिव, समस्त सम्भागीय आयुक्त।
12. निजी सचिव, समस्त जिला प्रभारी सचिव।
13. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
14. वित्तीय सलाहकार, आ0प्र0 एवं सहायता विभाग, राज0, जयपुर।


संयुक्त शासन सचिव